सभी के लिए एक गरिमामय जीवन
शिशु सरोथी की यात्रा

ममता घोष और नेहा दास

विश्व की कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत हिस्सा विकलांग जनों का (पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़-पीडब्ल्यूडी) है, जिनमें से 80 प्रतिशत विकासशील देशों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.21 प्रतिशत लोगों में एक या एक से अधिक प्रकार की विकलांगता है। लोगों का यह समूह समाज में सबसे अधिक हाशिए पर और कमज़ोर है। दुर्गम्य वातावरण, भेदभावपूर्ण व्यवहार और समाज में ग़ैर-समावेशन आदि इसके कारण हैं।

गुवाहाटी में स्थित *शिशु सरोथी* सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रीहैबिलिटेशन ऑफ़ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी 1987 से विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है। इसकी शुरुआत एक कमरे में दो बच्चों के साथ हुई। अपने शुरुआती दिनों में यह संगठन मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरब्रल पॉल्ज़ी — सीपी) वाले बच्चों की ज़रूरतों को सम्बोधित करने वाला एक केन्द्र था। लेकिन पिछले तीन दशकों में यह विकलांग बच्चों और व्यक्तियों को सक्षम और सशक्त बनाने वाले क्षेत्रीय स्तर के एक अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित हुआ है ताकि वे एक ऐसे समावेशी समाज में पूर्ण और प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें जो उनकी अन्तर्निहित गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करता है।

इसका विज़न एक ऐसी समावेशी दुनिया बनाना है जहाँ विकलांग बच्चे, महिलाएँ और पुरुष सम्मान और गरिमा के साथ समान शर्तों पर रहते हैं, अपने अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का आनन्द लेते हैं और जिन्हें मानव विविधता और मानवता का ही एक भाग मानते हुए महत्त्व दिया जाता है। पेशेवरों की एक समर्पित टीम विकलांग बच्चों और व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने तथा उनका पक्ष-समर्थन करने, उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने, उनके समावेशन को बढ़ावा देने और एक भेदभावरहित, अवरोधमुक्त समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी के द्वारा इस विज़न की प्राप्ति की दिशा में काम करती है।

हमारे मॉडल की विशिष्टता और उसका स्थायित्व इस बात में है कि हम बहुआयामी कार्य करते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए शुरुआती हस्तक्षेप से लेकर तीन से अठारह वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों और युवा वयस्कों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करने तक का कार्य। अलग-अलग विकलांगताओं जैसे कि बौद्धिक विकलांगता, बधिरता-दृष्टिहीनता, बहुसंवेदी दुर्बलता और उच्च समर्थन की आवश्यकताओं वाले बच्चों और युवा वयस्कों को भी अधिकार आधारित ढाँचे के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। हम सेवा वितरण के साथ-साथ अधिकार आधारित पक्ष-समर्थन की जुड़वाँ ट्रैक पद्धति (twin-track approach) के माध्यम से काम करते हैं। प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पक्ष-समर्थन और शोध शामिल हैं।

समावेशी शिक्षा

विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 और विकलांगजनों का अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को साथ रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र के हमारे काम में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। यह काम कई केन्द्रों और इकाइयों (यूनिट) के माध्यम से किया जाता है। इनका विवरण आगे है।

समावेशी और व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र (सेंटर फॉर इन्क्लूसिव एण्ड वोकेशनल एजुकेशन —सीआईवीई)

यह यूनिट विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए बहुमुखी शैक्षिक और उपचारात्मक इनपुट प्रदान करती है। इसमें एक रिवर्स इन्क्लूशन प्लेग्रुप, सभी साज-सामानों से लैस एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशाला, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार और व्यापक विकासात्मक विकार (पर्वेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स) वाले बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी का कार्यक्रम शामिल है। इस केन्द्र में विशेष शिक्षाविदों, चिकित्सकों (थेरेपिस्ट), परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक विविध टीम समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती है। समावेशी और व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र (सीआईवीई) के तहत कई इकाइयाँ हैं।

प्लेग्रुप यूनिट एक रिवर्स इन्क्लूसिव क्लास है जिसमें विकलांग और ग़ैर-विकलांग बच्चे दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें विकासात्मक रूप से उपयुक्त और बाल

केन्द्रित तरीक़ों के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है जो सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

फंक्शनल एकेडमिक यूनिट अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में बच्चों को समर्थन देने और न्यूनतम समर्थन के साथ स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने पर केन्द्रित है।

फंक्शनल यूनिट पूर्व व्यावसायिक कौशल, जीवन कौशल और काम से सम्बन्धित व्यवहार पर भी ध्यान केन्द्रित करती है ताकि विद्यार्थी व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में सहज रूप से जा सकें।

विशेष शिक्षण यूनिट उच्च समर्थन की आवश्यकताओं वाले कम आयु वर्ग के बच्चों में बहुसंवेदी दृष्टिकोण के माध्यम से स्वयं और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करती है और अवधारणात्मक कौशल का विकास करती है।

लीशर लर्निंग यूनिट में भी वे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें उच्च और अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इस यूनिट के विद्यार्थियों को विकास के सभी क्षेत्रों में व्यापक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है और रोज़मर्रा के जीवन के लिए बुनियादी कौशल विकसित करने में उनकी मदद की जाती है ताकि वे गौरव, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वीकरण के साथ जीवन जी सकें।

व्यावसायिक यूनिट लम्बे समय में रोज़गार के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करने व सशक्त बनाने के लिए विकलांग युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों में प्रशिक्षित करती है।

शारीरिक पुनर्वास यूनिट उपचारात्मक सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें आवश्यकता आधारित एप्रोच को अपनाते हुए लघु व दीर्घकालिक लक्ष्यों के माध्यम से शारीरिक और विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी सप्ताह में कम से कम दो दिनों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों से फ़िज़ियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी का लाभ उठाते हैं।

आईसीटी लैब (सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी) का मूल विचार यह है कि कम्प्यूटर साक्षर बनने में विकलांगजनों की सहायता की जाए। बुनियादी कम्प्यूटर कौशल सीखने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार विशेष सहायक उपकरण और सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं।

संगठन ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। रिवर्स इन्क्लूशन 2016 में शुरू किया गया था। इसमें एक सामान्य पूर्वस्कूली पाठ्यचर्या का अनुसरण किया जाता है जिसमें विशेष शिक्षक और मोंटेसरी प्रशिक्षित शिक्षक सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख रहे हैं। जिस अभिन्न तरीक़े से ग़ैर-विकलांग और विकलांग बच्चे एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर सहभागिता करते हैं, उसे देखकर बहुत ख़ुशी होती है।

इन वर्षों में कई बच्चों को मुख्यधारा के नियमित स्कूलों में लाया गया है। *शिशु सरोथी* के शिक्षक इन स्कूलों में शिक्षकों का लगातार समर्थन करते हैं और बच्चों द्वारा की गई प्रगति का अनुवर्तन करते हैं। मुख्यधारा के स्कूलों के लिए नामांकन से पहले होने वाले संवेदीकरण एवं अभिविन्यास के कार्यक्रमों को समावेशन की दिशा में आगे बढ़ने वाले नियमित स्कूलों के लिए आयोजित किया जाता है।

सितम्बर 2018 में, असम सरकार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन ने जीवधारा योजना शुरू की। यह एक पायलट योजना है जिसका उद्देश्य *शिशु सरोथी* के सहयोग से असम के कामरूप ज़िले में विकलांग बच्चों के लिए योग की शुरुआत करना है। यह नई पहल बहुत प्रभावी रही है क्योंकि यह केन्द्र में पहले से चल रहे अन्य उपचारों का अनुपूरण करती है और सचेतनता को बढ़ावा देने के लिए बाल सुलभ गतिविधियों के साथ-साथ मन्त्रोच्चार, प्राणायाम (साँस लेने के व्यायाम), व्यायाम और आसनों की तकनीकों का उपयोग करती है। प्रत्येक सप्ताह एक घण्टे के लिए योग के सत्र आयोजित किए जाते हैं। माता-पिता के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें योग के विचार और विकलांग बच्चों के लिए इसके लाभों से परिचित कराया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों के साथ इन योग सत्रों में भाग लेते हैं।

पूर्वोत्तर में समावेशी शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्य (रीजनल एक्शन ऑन इनक्लूसिव एजुकेशन इन द नॉर्थ ईस्ट — आरएआईएसई-एनई)

असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चयनित ज़िलों में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समावेशी शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यक्रम के पूरक के रूप में 2016 में आरएआईएसई-एनई (पूर्वोत्तर में समावेशी शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्य) परियोजना शुरू की गई थी। *शिशु सरोथी* वर्तमान में कामरूप (महानगर) ज़िले के पाँच एसएसए स्कूलों के साथ काम कर रहा है और भविष्य में एक अन्य ज़िले में कार्य करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्षमता निर्माण, संवेदीकरण, पाठ्यचर्या

अनुकूलन के बारे में शिक्षक-प्रशिक्षण, अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और उसका पक्ष-समर्थन करना है।

स्पर्श यूनिट

यह यूनिट बधिरता-दृष्टिहीनता (डेफ-ब्लाइंडनेस — डीबी) वाले लोगों को व्यापक आवश्यकता आधारित सेवाएँ प्रदान करती है। बधिरता-दृष्टिहीनता एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें दृश्य और श्रवण हानि और बहुसंवेदी विकार (मल्टीसेंसरी इम्पेरमेंट — एमएसआई) का संयोजन होता है और जो 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों में होता है। यह कार्यक्रम 2015 में असम के दो ज़िलों में शुरू किया गया था, जो सेंस इंटरनेशनल इण्डिया के समर्थन के साथ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है । यह गृह आधारित सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें परामर्श, माता-पिता के प्रशिक्षण के साथ शैक्षिक सुविधाएँ और श्रवण यंत्र और ब्रेल किट जैसे सहायक उपकरणों का वितरण भी शामिल है।

मानव संसाधन विकास विभाग

यह विभाग प्रशिक्षित पुनर्वास पेशेवरों का कैडर बनाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इण्डिया — आरसीआई) द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। विभाग ने प्रमस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों के प्रबन्धन के लिए माता-पिता को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करके अपना कार्य शुरू किया। 2003 से विभिन्न आरसीआई अनुमोदित सर्टीफिकेट कोर्स (जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता और समावेशी शिक्षा पर एडवांसड सर्टीफिकेट कोर्स शामिल हैं), डिप्लोमा (डीएड विशेष शिक्षा — प्रमस्तिष्क पक्षाघात) और डिग्री स्तर के कोर्स (बीएड विशेष शिक्षा — बौद्धिक विकलांगता) शुरू किए गए हैं। आरसीआई द्वारा अनुमोदित फाउण्डेशन कोर्स के माध्यम से क्षेत्र भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विकलांगता के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय न्यास के तहत शिक्षकों और देखरेखकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए गृह आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। *शिशु सरोथी* ने, पिछले कई वर्षों में, विकलांगता पर सरकारी क्षमता निर्माण की विभिन्न पहलों के माध्यम से डॉक्टर, नर्स, आरएमएसए, एसएसए, आईसीडीएस, आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 5000 से अधिक पेशेवरों तक पहुँच बनाई है।

भारती इंफ्राटेल छात्रवृत्ति कार्यक्रम (बीआईएसपी)

शिशु सरोथी ने भारती इंफ्राटेल लिमिटेड के सीएसआर विंग के साथ मिलकर भारती इंफ्राटेल स्कॉलरशिप प्रोग्राम (बीआईएसपी) के कार्यान्वयन में भी भागीदारी की है। 2016 में यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के विकलांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रत्येक राज्य के निर्धारित सहभागी संगठनों के साथ शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर भारत में 195 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स और कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है।

अन्य हस्तक्षेप

प्रारम्भिक हस्तक्षेप

1987 में अपनी स्थापना के बाद से ही *शिशु सरोथी* प्रारम्भिक हस्तक्षेप यूनिट (अर्ली इंटरवेंशन यूनिट — ईआईयू) चला रहा है और 50,000 से अधिक उपचारात्मक सत्र प्रदान करते हुए, पूरे उत्तर भारत के हज़ारों छोटे बच्चों तक पहुँच गया है। यह यूनिट शिशुओं, उच्च जोखिम वाले शिशुओं और विलम्बित विकास एवं विकलांगता वाले छोटे बच्चों में समस्या का शीघ्र पता लगाने, स्क्रीनिंग करने और प्रबन्धन सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करती है। इसमें बच्चे के लिए थेरेपी और गृह प्रबन्धन के ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जो बच्चों के लिए विशिष्ट हैं।

बाल विकास के क्षेत्र में हुए शोधों ने इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि शुरुआती छह साल हर बच्चे के समग्र विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी सेवाएँ उन बच्चों को प्रदान की जाएँ जिन्हें ऐसा कोई ख़तरा है या जिनमें विकलांगता के एक या अधिक रूप की पहचान की गई है। इस तरह के विलम्बित विकास के अनेक कारक हैं, जैसे कि जन्म से पूर्व होने वाली जटिलताएँ, समय से पहले जन्म होना, जन्म के समय वज़न कम होना, कुपोषण, उपेक्षा और बीमारी।

इस तरह की सेवाएँ समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करती हैं और यह भी सुनिश्चित करती हैं कि संज्ञानात्मक, मोटर, सामाजिक-भावनात्मक, संचार आदि में विलम्बित विकास वाले बच्चे अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकें और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें जो बदले में मुख्यधारा के समाज में उनके शीघ्र समावेशन को प्रोत्साहन देगा। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बच्चे के सकल और सूक्ष्म मोटर कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, ग्रहणशील एवं अभिव्यंजक भाषा कौशल, खेल कौशल और स्वयं सहायता कौशल के विकास को समझने व पहचानने और तदनुसार कार्य करने के लिए विकलांग बच्चों और उनके परिवारों को व्यक्तिगत आकलन और मूल्यांकन प्रदान किया जाता है। फिर नियोजन और

विकास प्रबन्धन की योजनाएँ भी हैं। इनमें प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत लघु व दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने से लेकर, माता-पिता के लिए गृह प्रबन्धन कार्यक्रमों तक का विवरण है ताकि वे इन पहचाने हुए विशिष्ट लक्ष्यों पर अपने बच्चों के साथ कार्य कर सकें।

इसके अलावा, परिवारों की सुविधा के अनुसार, बच्चों के साथ साप्ताहिक या मासिक आधार पर अनुवर्ती सत्र आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार उचित थेरेपी की व्यवस्था की जाती है जिसमें फिज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, प्रोफेशनल थेरेपी और विशेष शिक्षा शामिल है। खेल के माध्यम से बच्चों की प्रेरणा और संलग्नता बढ़ाने के लिए साल में तीन बार फ्री प्ले स्टिमुलेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

प्रारम्भिक हस्तक्षेप यूनिट के बच्चों को उनकी प्रगति और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार *शिशु सरोथी* के समावेशी व व्यावसायिक यूनिट केन्द्र, स्पर्श यूनिट और पूर्व व्यावसायिक यूनिट के अन्तर्गत रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सम्बन्धित स्थितियों जैसे 'दौरा पड़ना' के नियन्त्रण और बेरा (श्रवण परीक्षण) और दृष्टि परीक्षण जैसे नैदानिक परीक्षणों के लिए उन्हें चिकित्सकों के पास भी भेजा जाता है। सहायता, उपकरण और सहायक उपकरण जैसे हाथ/घुटने के गेटर, टखने-पैर के ऑर्थोसिस, कूल्हे-घुटने-टखने-पैर के ऑर्थोसिस, घुटने-टखने-पैर के ऑर्थोसिस, संशोधित जूते आदि भी अनुसंशित किए जाते हैं।

परामर्शन

परामर्शन यूनिट माता-पिता को प्राथमिक मनो-सामाजिक सहायता और परामर्शन सेवाएँ प्रदान करती है। यह यूनिट माता-पिता, जो आमतौर पर प्राथमिक देखरेखकर्ता होते हैं, को बच्चे की विकलांगता के बारे में शिक्षित करने का काम करती है ताकि अपने बच्चे की विकलांगता के कारण वे जिन भावनाओं से गुज़र रहे होते हैं, उनका सामना करने में उन्हें मदद मिल सके और उन्हें अपनी स्थिति का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। हम मुख्यधारा के उन स्कूलों में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की समझ पैदा करने का प्रयास करते हैं, जहाँ ऐसा करना सम्भव है।

पहुँच

शिशु सरोथी असम के ग्रामीण इलाक़ों में समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने, विकलांग बच्चों की पहचान करने या उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद बच्चों को जो ख़तरे हो सकते हैं— उनके बारे में जानकारी प्रदान करना भी इस आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। गोलपारा में स्थानीय समुदाय के सदस्यों के अनुरोध पर, एक स्थानीय एनजीओ के सहयोग से 2014 में साप्ताहिक प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाएँ शुरू की गई थीं, जो अभी भी जारी हैं। इन साप्ताहिक यात्राओं के माध्यम से हम गोलपारा और उसके पड़ोसी ज़िलों के साथ-साथ मेघालय के कुछ ज़िलों के 600 से अधिक बच्चों तक पहुँच चुके हैं।

पक्ष-समर्थन

शिशु सरोथी की विकलांगता क़ानून यूनिट — नॉर्थ ईस्ट (डिसेबिलिटी लॉ यूनिट — डीएलयू-एनई) जागरूकता बढ़ाने, क़ानूनी परामर्श, मुक़दमेबाज़ी और नीति को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांगजनों के अधिकारों पर पक्ष-समर्थन, सक्रियता और क़ानूनी साक्षरता प्रदान करती है। विकलांगता क़ानून यूनिट सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में, विकलांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विभिन्न हितधारकों— जिनमें विकलांग जन संगठन (डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गनाइज़ेशन — डीपीओ), नौकरशाह, न्यायतन्त्र भी शामिल हैं —के लिए जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशालाओं या कार्यक्रमों से सम्बद्ध है। वर्तमान में हम समाज कल्याण विभाग, असम सरकार के साथ राज्य, अंचल एवं ज़िला स्तरों पर कार्यान्वयन भागीदार के रूप में विकलांगता और विकलांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम में शामिल हैं और साथ ही हम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की सामग्री का विकास भी कर रहे हैं। यह पहल भारत में अपनी तरह की पहली योजना है।

शोध

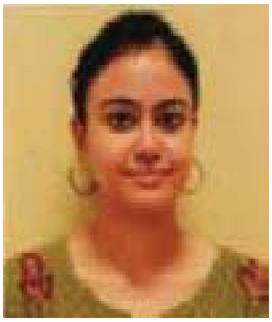
शिशु सरोथी ने हाल ही में विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण विकलांगजनों की स्थिति पर प्रमाण जुटाने के लिए समय-समय पर विकलांगता से सम्बन्धित मुद्दों पर शोध के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया है। *शिशु सरोथी* ने असम के चिरांग और कोकराझार ज़िलों में सतत विकास लक्ष्यों (लैंगिक समानता, स्वच्छ जल व सफ़ाई व्यवस्था और सम्माननीय कार्य व आर्थिक विकास) के सन्दर्भ में विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर विकलांगता के सतत विकास लक्ष्यों का एक ट्रैकर बनाने के लिए वॉलंटरी सर्विसेस ओवरसीज़ — वीएसओ के साथ सहयोग किया है।

इस प्रकार *शिशु सरोथी* की अब तक की यात्रा मिश्रित अनुभवों से भरपूर रही है। कई बाधाएँ आईं, लेकिन यह यात्रा

जारी है क्योंकि पेशेवरों की एक समर्पित टीम एक सामान्य लक्ष्य के लिए अथक प्रयास करने में जुटी है। यह संगठन एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना करता है जहाँ का समाज विविधता का सम्मान करता हो, उसे सामाजिक महत्त्व देता हो और विकलांगजन हर तरह से दूसरों के साथ समरसता का जीवन जीते हों।



ममता घोष एक विशेष शिक्षिका हैं। वे 2006 से विकलांग और ग़ैर-विकलांग दोनों तरह के बच्चों के साथ काम कर रही हैं। कर्नाटक के बेंगलूरु की स्पैसिटिक सोसाइटी के साथ कुछ समय तक जुड़े रहने के बाद वे 2015 में *शिशु सरोथी* केन्द्र में सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन के समन्वयक के रूप में शामिल हुईं। वर्तमान में वे आरएआईएसई–एनई (पूर्वोत्तर में समावेशी शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्य) परियोजना में प्रमुख शिक्षक और समन्वयक हैं। उन्हें पढ़ने, लिखने और संगीत में रुचि है। उनसे mamta.ghosh@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।



नेहा दास *शिशु सरोथी*, गुवाहाटी, में शोध अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, मुम्बई से चिल्ड्रन एण्ड फैमिलीज़ में विशेषज्ञता के साथ समाज कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें बाल अधिकार, लिंग, गुणात्मक अनुसन्धान एवं विकलांगता के क्षेत्रों में चार साल का अनुभव है। उनसे dasneha8815@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अनुवाद : नलिनी रावल